NEERAJ®

केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

(Administrative System at Union Level)

B.P.A.C.-133

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: Bhavya Gupta

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

(Administrative System at Union Level)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1
Question Paper—December-2023 (Solved) 1
Question Paper—June-2023 (Solved) 1
Question Paper—December-2022 (Solved) 1
Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1
Sample Question Paper–1 (Solved) 1
Sample Question Paper–2 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

भारतीय प्रशासन का विकास (Evolution of Indian Administration)

1. प्राचीन प्रशासन प्रणाली 1
(Ancient Administrative System)

2. मध्यकालीन प्रशासन प्रणाली 10
(Medieval Administrative System)

3. अंग्रेज प्रशासन प्रणाली 22
(British Administrative System)

4. 1947 के पश्चात् भारतीय प्रशासन में निरंतरता एवं परिवर्तन 34
(Continuity and Change in Indian Administration-Post 1947)

भारत में संसदीय लोकतंत्र (Parliamentary Democracy in India)

5. भारतीय संघवाद 45
(Indian Federalism)

संस्थागत ढाँचा (Institutional Framework)

6. मंत्रिपरिषद सचिवालय 74
(Cabinet Secretariat)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

7. केंद्रीय सचिवालय 85
(Central Secretariat)

8. केंद्रीय सेवाएं और अखिल भारतीय सेवाएं 98
(All India and Central Services)

9. प्रशासनिक प्राधिकरण 112
(Administrative Tribunals)

आयोग (Commission)

10. भारत में आयोग 123
(Commission in India)

नागरिक समाज : अवधारणा व भूमिका (Concept and Role of Civil Society)

11. नागरिक समाज संगठन की अवधारणा व भूमिका 140
(Concept and Role of Civil Society)

नियामकिय निकाय (Regulatory Commission)

12. नियामक आयोग 151
(Regulatory Commissions)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

B.P.A.C.-133

(Administrative System at Union Level)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं* ***पाँच*** *प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम* ***दो*** *प्रश्न अवश्य कीजिए।* ***सभी*** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. मौर्य प्रशासन व्यवस्था की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'मौर्य प्रशासनिक प्रणाली'

प्रश्न 2. स्वतंत्रता-पश्चात काल में भारतीय प्रशासन की निरंतरता और परिवर्तनों पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-35, 'भारतीय प्रशासन में परिवर्तन', पृष्ठ-41, प्रश्न 9

प्रश्न 3. संसद की भूमिका, इसकी प्रक्रिया और वित्त पर इसके नियंत्रण का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-50, 'संसद की भूमिका', पृष्ठ-51, 'संसदीय प्रक्रिया, वित्त पर नियंत्रण'

प्रश्न 4. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-52, 'शक्तियाँ'

भाग-II

प्रश्न 5. अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-99, 'अखिल भारतीय सेवा का गठन'

प्रश्न 6. राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) और संघ लोक सेवा आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-123, 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI)', पृष्ठ-125, 'संघ लोक सेवा आयोग'

प्रश्न 7. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के संगठन, भूमिका और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-133, प्रश्न 4

प्रश्न 8. नागरिक समाज की अवधारणा और भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-143, प्रश्न 1, पृष्ठ-145, प्रश्न 4

■■

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

केन्द्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली

B.P.A.C.-133

(Administrative System at Union Level)

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं* ***पाँच*** *प्रश्नों के दीजिए। प्रत्येक भाग से कम-से-कम* ***दो*** *प्रश्न अवश्य कीजिए।* ***सभी*** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. भारत में मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय प्रशासन की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'मुगल प्रशासनिक व्यवस्था'

प्रश्न 2. भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-52, 'शक्तियाँ'

प्रश्न 3. भारतीय संविधान की संघीय तथा एकात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-45, 'भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं', 'भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं'

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) भारतीय प्रशासन : ब्रिटिश शासन की विरासत

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-34, 'भारतीय प्रशासन : ब्रिटिश की विरासत'

(ख) भारत का सर्वोच्च न्यायालय : भूमिका और कार्य

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-55, 'सर्वोच्च न्यायालय'

भाग-II

प्रश्न 5. केन्द्रीय सचिवालय के कार्यों तथा संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-85, 'संगठनात्मक संरचना', पृष्ठ-86, कार्य और भूमिका'

प्रश्न 6. चुनाव आयोग की संरचना तथा कार्यों की चर्चा कीजिए एवं आधुनिकीकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहलों को उजागर कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-125, 'चुनाव आयोग'

प्रश्न 7. भारत में नागरिक समाज की अवधारणा तथा भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-143, प्रश्न 1, पृष्ठ-145, प्रश्न 4

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए–

(क) भारत में प्रशासनिक प्राधिकरण

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-115, प्रश्न 2

(ख) मंत्रिपरिषद् सचिव का कार्यालय

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-75, 'मंत्रिपरिषद् सचिव का कार्यालय'

■■

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक प्रणाली
(Administrative System at Union Level)

भारतीय प्रशासन का विकास
(Evolution of Indian Administration)

प्राचीन प्रशासन प्रणाली
(Ancient Administrative System)

1

परिचय

सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही भारतीय प्रशासन का विकास भी हुआ, जिसमें सभी शक्तियां राजा के पास हुआ करती थी। राज्य के सभी कार्य राजा करता था और राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद होती थी, अर्थात प्राचीनकाल में राज्य को चलाने की सभी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। इसके पश्चात वैदिककाल आया जिसमें आर्यों को जनजातियों में संगठित किया जाता था। जनजाति के प्रमुख को राजन कहते थे, जिसका मुख्य कार्य जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करना होता था। उनकी सहायता के लिए पुरोहित, सेनानी, दूत्तास, स्पास आदि कई पदाधिकारी होते थे। भारत में मौर्य और गुप्त राजवंशों के साथ ही प्रशासन का एक व्यवस्थित रूप शुरू हुआ। इन दोनों राजवंशों के पास एक बड़ा सरकारी तंत्र हुआ करता था, जो राज्य के कार्यों को संगठित रूप से व्यवस्थित करता था।

अध्याय का विहंगावलोकन

प्राचीन भारतीय प्रशासन का विकास

वेदों में वैदिक युग का वर्णन मिलता है। शुरुआती वैदिक आर्यों को राज्यों के स्थान पर जनजातियों में संगठित किया गया था। इनमें सभा और समिति नामक आदिवासी परिषद हुआ करती थी, जो राजा की गतिविधियों को प्रतिबंधित करती थी। आर्थर लेवेलिन बाशम, जोकि एक प्रसिद्ध सहित इतिहासकार और हिंदुत्ववादी थे, उनका कहना है कि सभा जनजाति के महापुरुषों की बैठक थी और समिति सभी मुक्त जनजातियों के पुरुषों की बैठक हुआ करती थी। इन दो निकायों का काम जनजाति को शासित करना था। उनकी स्वीकृति के बिना राजन सिंहासन नहीं संभाल सकता था।

इसके बाद के समय में जनजातियां छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो गई, जिसके अंतर्गत एक पूंजी व्यवस्था और एक अर्ध-विकसित प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। राजा को मुख्य रूप से राष्ट्र और प्रजा का संरक्षक माना जाता था। इसी समय से वंशानुगत शासन का चलन शुरू हुआ। इस युग में राजा का महत्त्व और नियंत्रण बढ़ता चला गया। राजा की बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति के कारण ही उसका उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण भी बढ़ने लगा। राजा की बढ़ती हुई शक्ति के कारण सभा और समिति की शक्ति में और प्रभाव में कमी आने लगी, जो लोग पहले इच्छा से उपहार दिया करते थे, वह अब आवश्यक शुल्क बन गए थे।

विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं, जैसे राजशाही, कुलीन राज्य तथा आदिवासी सियासतें वैदिक युग के अंत तक उत्पन्न होने लगी थी। वैदिककाल में कृषि प्रमुख आर्थिक कार्य था, उस समय प्रमुखों और पुजारियों को विशेष उपहार दिए जाते थे और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। मवेशियों का प्रयोग मुद्रा की एक इकाई के रूप में किया जाता था। इस अवधि के दौरान गंगा घाटी में कृषि की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती रही। कृषि से संबंधित कार्य अधिक जटिल होने लगे और इसी समय पर लोहे के औजारों के उपयोग का प्रचलन भी हुआ। तांबे कांस्य और सोने के अलावा टिन, शीशा और चांदी इनका भी उपयोग हुआ। इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इस युग में शिल्प व्यवसाय में भी बढ़ोतरी हुई जैसे कि बढ़ई, चमड़े का काम, कुम्हार का काम, ज्योतिष, आभूषण, रंजक कार्य और मदिरा बनाने जैसे कार्य। रोमिला थापर के अनुसार वैदिककाल राज्य निर्माण एक अवरुद्ध विकास था, क्योंकि प्रमुख गण ज्यादातर स्वायत्त होते थे और वह अपने अधिशेष धन को भव्य अनुष्ठानों में लगाते थे, राज्य निर्माण में नहीं। वैदिक युग का अंतिम चरण जोकि उपनिषदों की अवधि माना जाता है, वह गंगा घाटी में शहरीकरण की प्रक्रिया का

आरंभ माना गया है। इस समय पर जनसंख्या और व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ, जिससे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पढ़ने लगे और शहरीकरण के एक नए चरण का आरंभ हुआ। मौर्य वंश की शुरुआत हुई, जिसमें कौटिल्य जैसे विद्वान आए जिन्होंने राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर लेख लिखे। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक थे तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्वान थे। भारतीय प्रशासन प्रणाली के विकास का विवरण कौटिल्य ग्रंथ में मिलता है। मौर्य काल में प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकेंद्रीकरण का प्रचलन था। इस समय पर प्रांतों को जिले और जिलों को ग्रामीण और शहरी स्थानीय केंद्रों में विभाजित किया गया था।

मौर्य प्रशासनिक प्रणाली

मौर्य साम्राज्य के साथ एक नए युग का प्रतिपादन हुआ, क्योंकि इसमें भारत में राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकरूपता आई। मौर्य साम्राज्य चार प्रांतों में बंटा हुआ था, तोसली, उज्जैन सुवर्णागिरी और तक्षशिला। मौर्य राजा की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य ने अपने राज्य में प्रशासन की एक संगठित और विस्तृत प्रणाली का विकास किया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन राजा के अधीन होता था। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, राज्य प्रशासन, न्याय प्रशासन और सैन्य प्रशासन थे।

केंद्रीय प्रशासन

मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च और संप्रभु अधिकारी राजा हुआ करता था। राजा के पास सर्वोच्च कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां थी। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राजा की ही थी। वह अपने राज्यों के लिए नीतियां बनाता था, जिनका पालन करना सभी अधीनस्थ अधिकारियों का कर्त्तव्य था। मंत्रियों और शाही प्रशासन के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य द्वारा ही की जाती थी तथा सेना का प्रमुख सेनापति और संपूर्ण सैन्य प्रशासन का शीर्ष भी राजा ही हुआ करता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक हिंदू राज्य था, इसलिए राज्य का सर्वोच्च प्रभुत्व धर्म या कानून को माना जाता था, जिसका संरक्षक राजा को बनाया जाता था। राजा को भी कानूनों को मानना अनिवार्य होता था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता था, जो उसे सलाह देता था और राजा के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के संचालन में दिशा-निर्देश भी देता था। राज्य में ब्राह्मणों का बहुत महत्त्व था। राजा भी उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे, वह हमेशा उनका समर्थन करते थे। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अलग-अलग हुआ करती थी, किंतु कुछ निश्चित नहीं थी। आपातकाल के समय में राजा को मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णय को स्वीकार करना होता था। इसके अलावा शासन को सुसंगठित ढंग से चलाने के लिए नौकरशाही का पालन किया जाता था। संपूर्ण शासन-प्रणाली को विभागों में संगठित किया गया था और प्रत्येक विभाग के लिए एक अधीक्षक को नियुक्त किया गया था, जो उसका संचालन करता था, उसे अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। लिपिक लेखाकार और गुप्तचर यह अध्यक्ष की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। इसके अलावा उच्च अधिकारियों के दो पद होते थे, समाहर्ता और संनिधाता। समाहर्ता पूरे मौर्य साम्राज्य के लिए राजस्व संग्रहित करता था और खर्चे वाले भाग पर भी उसी का नियंत्रण होता था। संनिधाता का कार्य कोषागार और भंडार को संभालना था। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे कि सेना के मंत्री, मुख्य पुजारी और किले के संरक्षक।

प्रांतीय प्रशासन

संपूर्ण साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया था–

1. राज्य जोकि राजा के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आता था।
2. जागीरदार राज्य।

मौर्य साम्राज्य में जिन राज्यों पर राजा प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, उसे कई प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें जनपद कहा जाता था। अशोक के अधीन पांच प्रांत थे, जिनकी राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, सुवर्णागिरी और पाटलिपुत्र थी। हर एक प्रांत को जिलों में बांटा गया था और फिर से हर एक जिले को इकाइयों में बांटा गया था। इन केंद्र शासित मौर्य प्रदेशों के अलावा, जागीरदार राज्य भी थे, जिनके पास अधिक स्वायत्तता थी। प्रांतीय प्रशासन का कार्य भी केंद्रीय प्रशासन की भांति ही था। सम्राट साम्राज्य के मध्य और पूर्वी भागों पर मौर्य शासन किया करते थे तथा अन्य क्षेत्रों पर प्रांतीय राजपाल शासन करते थे। प्रांतीय प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के कार्यों को संभालना, प्रांतीय राज्यपाल का कार्य था तथा उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे केंद्रीय प्रशासन के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर सलाह मशवरा करेंगे।

स्थानीय प्रशासन

जिस प्रकार आज के समय में जिला कलेक्टर हुआ करते है, उस समय 'राजुकस' जिला प्रशासन का प्रभारी हुआ करता था। इनकी सहायता के लिए युक्तास या अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे। शहरी क्षेत्रों में एक नगर पालिका बोर्ड हुआ करता था, जिसमें तीस सदस्य होते थे। छः समितियां निर्मित की गई थी, जिनमें हर एक में पांच बोर्ड सदस्य हुआ करते थे, यह समितियां शहरों के प्रशासन का संचालन का कार्य संभालती थी। यह समितियां निम्नलिखित थी–

1. औद्योगिक कला समिति,
2. विदेशी समिति,
3. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण समिति,
4. व्यापार और वाणिज्य समिति,
5. निर्माताओं के पर्यवेक्षण समिति और
6. उत्पाद और कस्टम शुल्क के संग्रहण समिति।

ग्राम प्रशासन का कार्य ग्रामनी के हाथों में था, जिसके प्रमुख को गोपा कहा जाता था और यह दस से पन्द्रह गांवों का प्रभारी हुआ करता था। गांव में नियमित रूप से जनगणना होती थी, जिसमें अधिकारियों को लोगों को उनकी जातियों और व्यवसायियों के

www.neerajbooks.com

आधार पर क्रमांकित करना होता था। प्रत्येक घर के जानवरों की गिनती भी होती थी। कस्बों में जनगणना का कार्य नगर पालिका के अधिकारी करते थे। ऐसा मालूम होता है कि जनगणना मौर्य प्रशासन में एक स्थाई संस्था का रूप ले चुकी थी।

राजस्व प्रशासन

कौटिल्य ने प्रशासन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए राजकोष पर अधिक जोर दिया, उस समय आय के प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व, कराधान और किराए थे। राजस्व का मुख्य स्रोत भू-राजस्व था, जो कि कुल उपज का 1/6 भाग था। इस अनुपात को किसानों की आर्थिक और स्थानीय स्थिति के आधार पर तय किया जाता था। इसके अलावा राज्य के अन्य स्रोत थे, उत्पाद शुल्क, जल कर, वन कर तथा खानों पर लगाया गया कर, मुद्रा कर आदि। एकत्रित किए गए राजस्व का ज्यादातर भाग सेना के वेतन, शाही सरकार के अधिकारियों, दान तथा विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कार्यों जैसे कि सिंचाई, सड़क निर्माण आदि पर खर्च किया जाता था।

न्यायिक प्रशासन

उस समय न्यायपालिका का प्रमुख राजा हुआ करता था, जो कि लोगों की अपील को व्यक्तिगत रूप से सुनता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था इसलिए हर मामले का हल निकालना राजा के लिए संभव नहीं था। अतः उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी। हालांकि अशोक के शासनकाल के दौरान न्याय प्रणाली में कई प्रकार के सुधार किए गए, उनके शासनकाल में क्षमा भी दी जाती थी। सर्वोच्च न्यायालय जो कि राजधानी में स्थित होते थे, उनके मुख्य न्यायाधीश को धर्मथिंकारिन ने कहा जाता था। इसके अलावा प्रांतीय राजधानियों और जिलों में अमात्य के अधीन अधीनस्थ न्यायालय भी हुआ करते थे। अपराधियों को कई प्रकार के दंड दिए जाते थे, जैसे कि कारावास उत्पीड़न, जुर्माना, व मृत्यु। कौटिल्य व अशोक दोनों के लेखों में जेलों और जेल अधिकारियों के विषय में उल्लेख मिलता है। इसमें किसी निर्दोष को सजा ना देने का भी प्रावधान था। अशोक के शिलालेखों पर कुछ अपराधों के लिए माफी का उल्लेख भी मिलता है।

सैन्य प्रशासन

मौर्य सेना सेनापति के नियंत्रण में एक अच्छी संगठित सेना थी, जिसका सर्वोच्च सेनापति राजा था। ग्रीक लेखक प्लिनी लिखते हैं, मौर्य सेना में 600000 पैदल सेना, 30000 घुड़सवार, 9000 हाथी और 8000 रथ हुआ करते थे। 30 सदस्यों का मंडल बना हुआ था, जो युद्ध से संबंधित मामलों पर निगरानी रखता था। यह सदस्य 6 समितियों में प्रत्येक में 5 सदस्यों के रूप में रखे गए थे। इन समितियां द्वारा सेना के निम्नलिखित खंडों का प्रबंधन किया जाता था–

1. नौ-सेना
2. परिवहन और आपूर्ति
3. घुड़सवार सेना
4. पैदल सेना
5. युद्ध रथ
6. युद्ध के हाथी

हर खंड के लिए अध्यक्ष या निरीक्षक हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे प्रतिभाशाली प्रशासक हुए हैं। साम्राज्य का प्रशासन विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था तथा प्रशासनिक शक्तियों को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इन सभी इकाइयों पर केंद्रीय नियंत्रण रहता था। अशोक ने मौर्य प्रशासनिक प्रणाली में नए विचारों तथा सुधारात्मक कार्यों का आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कार्यकारी विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों को सुधारा। उनका रुझान लोक-कल्याण कार्यों में अधिक था, अतः उसके लिए उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति की, उन्होंने अधिकारियों के एक विशेष वर्ग को नियुक्त किया, जिन का कार्य लोगों की सामग्री और उनके आध्यात्मिक कल्याण की देखभाल करना होता था। यह सभी व्यक्ति उनके द्वारा शुरू किए गए धम्म के सुसमाचार का प्रसार किया करते थे।

गुप्तकाल में प्रशासनिक प्रणाली

मौर्य साम्राज्य की भांति गुप्तकाल में भी एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था थी। मंडल को प्रशासनिक विभागों में बांटा गया था। गुप्त काल का समय प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है।

केंद्रीय प्रशासन

गुप्तकाल में सरकार का स्वरूप एक उदार राजशाही के रूप में था। राजा सर्वोच्च अधिकारी तो था ही साथ ही उसे परमेश्वर महाराजाधिराज और परमभद्राका जैसी उपाधियां दी जाती थी। राजा के पास साम्राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक प्रशासनिक सैन्य और न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी। राजा के पास व्यापक शक्तियां प्राप्त होने के बाद भी वह अत्याचारी के रूप में शासन नहीं करता था। राजा के दिन-प्रतिदिन के कर्त्तव्यों के पालन के लिए मंत्रिपरिषद और अन्य कई अधिकारी उसकी सहायता किया करते थे। राजा ही उन्हें सम्मान और उपाधियां प्रदान करते थे। राजा साम्राज्य में सर्व भूमि संरक्षक थे। राजा जन-कल्याण करते थे, लोगों की सुविधा के लिए बांधों का निर्माण करना, न्याय प्रदान करना, करों की वसूली करना, जरूरतमंदों को आश्रय देने जैसे कार्य करते थे। वह कभी भी देशद्रोही नहीं होते थे। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होता था। परिषद के प्रमुख राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, जिन्हें मंत्री मुखिया कहा जाता था। सैन्य, कानून और व्यवस्था के मामलों को अलग-अलग अधिकारियों द्वारा संभाला जाता था। सम्राट अपनी जनता की भलाई के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन से स्वयं को जागरूक रखने के लिए देश का भ्रमण किया करते थे।

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

प्रांतीय प्रशासन

प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन प्रणाली की शुरुआत गुप्त राजाओं द्वारा की गई। साम्राज्य को भुक्त विभागों में बांटा गया था और प्रत्येक भुक्ति को एक उपारिका के अंतर्गत रखा जाता था। भुक्तियों को जिलों या विशाया में विभाजित किया गया था, जिसमें एक विशया विशायपति के अंतर्गत आता था। ज्यादातर विशायापति शाही परिवार का एक सदस्य होता था। कार्यपरिषद के प्रतिनिधि उसे उसके कार्यों में सहायता देते थे।

स्थानीय प्रशासन

शहर पर एक परिषद द्वारा शासन किया जाता था, जिसके प्रमुख को नगर रक्षक कहा जाता था। यह नगर रक्षक पुरपाल उपारिका का एक अन्य अधिकारी था, उसके अधीन होता था। इसके अलावा एक अन्य अधिकारी अवस्थिका नामक होता था, जो धर्मशालाओं के अधीक्षक का कार्य करता था। पेशेवर वर्ग ने जैसे कि कारीगरों, व्यापारियों और बैंकरों ने अपने स्वयं के संग बनाए हुए थे, जिसका प्रबंधन वह स्वयं करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामिका होता था। गुप्तकाल में ग्रामीण निकाय जैसे पंचायत ग्रामीणों के कल्याण के कार्य करती थी। इन ग्राम पंचायतों में ज्यादातर गांव के मुखिया और बुजुर्ग लोग शामिल होते थे।

राजस्व प्रशासन

राजस्व प्रशासन का कार्यभार विनियुकता, राजुका, उपारिका, दशपराधिका तथा ऐसे और भी अधिकारी गण द्वारा संभाला जाता था। राजस्व प्राप्त करने के अट्ठारह स्रोत थे, जिनमें से प्रमुख भू-राजस्व था, जोकि कुल उपज का एक छोटा हिस्सा होता था। इसके अलावा भूमि का पुनर्ग्रहण भी आय का एक मुख्य स्रोत था। राजस्व से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा लोक-कल्याण पर खर्च कर दिया जाता था। इसके अलावा आय के कुछ अन्य स्रोत भी थे, जैसे कि आयकर, सीमा शुल्क, टकसाल शुल्क, वंशानुक्रम कर और उपहार कर। एक अन्य कर भी था, दसापराधा जोकि अपराधियों पर लगाया जाता था। वेतन का भुगतान ज्यादातर भूमि अनुदान के रूप में किया जाता था, जिससे लाभार्थियों को भूमि पर वंशानुगत अधिकार मिले, जो भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। गुप्त शासकों ने सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी की, जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई।

न्यायिक प्रशासन

कौटिल्य द्वारा अपने लेख में गुप्तकाल की न्यायिक प्रणाली काफी विकसित थी, इस समय में प्रथम बार नागरिक व आपराधिक कानूनों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया। व्यभिचार आपराधिक कानून के अंतर्गत आते थे। राजा न्यायाधीशों और मंत्रियों की मदद लेता था। कारीगरों, व्यापारियों तथा अन्य लोगों के संघों ने अपने स्वयं के कानून निर्मित किए हुए थे। ग्राम सभा न्यायिक प्रणाली के सबसे निचले स्तर पर आती थी, इसमें दो पक्षों के बीच विवादों को निपटाने का कार्य किया जाता था।

सैन्य प्रशासन

गुप्त शासक एक बड़ी सेना के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी सेना को स्थाई बनाए रखा था। शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय प्रमुख सैन्य अधिकारी सेनापति, महासेनापति, बालाधिकृत, महाबालाधिकृत, दंडनयाका, संधिविग्रहिका और महासन्धिविग्रहिका थे। संधि विग्रह का और महा संधि विग्रह का थे। युद्ध के प्रमुख हथियार धनुष, तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और भाले हुआ करते थे। सेना के पास सूचना विभाग, घुड़सवार विभाग, हाथी विभाग तथा नौसेना विभाग जैसे चार विभाग होते थे।

व्यापार और व्यवसाय

गुप्तकाल में चीन, सीलोन कई यूरोपीय देशों और पूर्व भारतीय द्वीपों के साथ व्यापार की गतिविधियां शुरू हुई, इससे साम्राज्य में आर्थिक व सामाजिक गतिविधियां सुदृढ़ हो गई थी, जिसके कारण नए राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर साम्राज्य का विस्तार किया गया।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. मौर्य प्रशासनिक प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर–मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए चार और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसली थी तो दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरि। इसी प्रकार उत्तरी तथा पश्चिमी भाग की राजधानी क्रमशः तक्षशिला तथा उज्जैन (उज्जयिनी) थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्त्वपूर्ण नगर थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्रीपरिषद तथा महामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बंटे होते थे। प्रत्येक जिला गाँव के समूहों में बंटा होता था। प्रदेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। रज्जुक जमीन को मापने का काम करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी, जिसका प्रधान ग्रामिक कहलाता था।

प्रश्न 2. कौटिल्य द्वारा अपने लेख के प्रशासन का वर्णन किस प्रकार किया क्या? उत्तर विस्तारपूर्वक दें।

उत्तर–कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों का प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये तीस सदस्य पाँच-पाँच सदस्यों वाली छः समितियों में बंटे होते थे। प्रत्येक समिति का कुछ निश्चित काम होता था। पहली समिति का काम औद्योगिक तथा कलात्मक उत्पादन से सम्बंधित था। इसका काम वेतन निर्धारित करना तथा मिलावट रोकना भी था। दूसरी समिति पाटलिपुत्र में

www.neerajbooks.com